may ask why the number of persons rehabilitated is much more than that of trained, why 2,50,000 persons were rehabilitated and one lakh persons were trained.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Rehabilitated in what? Placed on what jobs? Where were they rehabilitated? That is the question.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIAH: Sir, we leave it to them to choose their profession. They want to put up some vegetable....

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: You must have some information about the specific occupations or professions. Where have they been rehabilitated? That is the problem.

Mr. Hanumanthappa is not here. His Commission has given a report. He himself gave a statement last year, giving all these details about the formal and customary approach of the Government and lack of coordination.

You are throwing this responsibility on the earlier Government. You said that your responsibility began only in July and that for the last few years before that no money was given by the Congress Government. It is for them to decide about it. This is what the Minister has said, that for removal or elimination of scavenging no money was given to most of the States by the earlier Government. It is for them to ask about it.

I want to know what concrete steps this Government has taken.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Mr. Chaturvedi, don't put some words in my mouth, which I have not uttered. I have not said that.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: He did not use that word, but he said that his responsibility was from this year.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: When did I say that? I did not say that.

MR. CHAIRMAN: He did not say it. Some other Minister, in answer to some other question, said it. This Minister did not say that in reply to his question.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Chaturvedi is talking of the same Government of which he was the Home Secretary.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: I am asking of the Minister about the continuing responsibility. When Mr. Parag Chaliha asked why no money was given to the States, this Minister said that he was not accountable for it.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: No, no.

Sir, the previous Government spent Rs. 435 crores.

SHRI SATISH AGARWAL: Mr. Chairman, Sir, we come from the States. You have rightly pointed out that the particular methodology adopted in Kerala for eradicating the evil of scavenging should be circulated to us. That would be very good and would enable us to impress upon our State Governments to adopt this particular methodology.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

राज्य व्यापार निगम में भ्रष्टाचार के मामले

*121. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम में हुए भ्रष्टाचार के कतिपय मामलों की सरकार को जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम के कुछ मार्केट मैनेजरों (विपणन अधिकारियों) द्वारा दिल्ली की निर्यात कम्पनियों से सांठगांठ करके करोड़ों रुपये के निर्यात आर्डरों का गोलमाल करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भोला चुल्ली रमैया): (क) से (ग) जी, हां। पिछले पांच वर्षों के

दौरान, एसटीसी द्वारा वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तुत मामलों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) संलग्न अनुबंध में दर्शाए गए अधिकांश मामले जांच पड़ताल/पूछताछ के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) तथा (ङ) जब तक जांच-पड़ताल पूरी नहीं हो जाती तब तक यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि एसटीसी के किसी अधिकारी की सांठगांठ है।

विवरण

जिन मामलों में रिपोर्ट/सूचना वाणिज्य मंत्रालय को भेजी गई या जिनके बारे में वाणिज्य मंत्रालय से आदेश प्राप्त हुए थे, उनका ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	विषय	जाँच कर्ता एजेंसी
1.	1992-93	मैसर्स मेटेओर पेपर लि., लंदन के साथ अखबारी कागज के आयात का व्यापार	मूल देश, विनिर्माता का प्रमाण-पत्र इत्यादि की घोषणा के बारे में उठे एक विवाद के कारण इस मामले को एसटीसी ने सी बी आई को सौंपा था और सी बी आई ने इसे 13-11-1992 को रजिस्टर किया था। सी बी आई ने लंदन में जांच करने के लिए रोगेटरी पत्र जारी करवा लिया है। सी बी आई ने एस टी सी को सूचित किया है कि यू.के. से आंशिक जांच रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	1992-93	मैसर्स फिन्नैप, फिनलैण्ड से ग्लेज्ड अखबारी कागज का आयात	एसटीसी के कुछ अधिकारियों द्वारा मैसर्स फिनपैप, फिनलैण्ड से ग्लेज्ड अखबारी कागज के आयात के बारे में आरोपित भ्रष्टाचार के कारण इस मामले कारण सी बी आई को सौंपा था जिसने 7.5.92 को मामला दर्ज किया। सी बी आई ने अपने दिनांक 11.10.94 की रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि इस मामले को बन्द कर दिया जाए।
3.	1993-94	मैसर्स मेटेओर पेपर लि., लंदन के बारे में तत्कालिक शाखा प्रबंधक, एसटीसी,	तत्कालिन शाखा प्रबंधक, एस टी सी, लंदन द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर जिसमें कथितरूप से यह कहा गया था कि हंगरी में अखबारी कागज का कोई उत्पादन नहीं होता है, एस टी सी ने इस मामले की जांच लंदन द्वारा भेजे गए पत्र की सामग्री के लिए 28.9.93 को सी बी आई को सौंप दिया था। सी बी आई इस मामले की जांच कर रही है क्योंकि यह मामला ऊपर क्र.सं. 1 के मामले से अन्त संबद्ध है।
4.	1993-94	मैसर्स यूनीवर्सल पेपर एक्सपोर्ट कम्पनी, कनाडा के साथ अखबारी कागज का व्यापार	कनाडा से आयतित अखबारी कागज की खेप, जो बम्बई बन्दरगाह पर 12.6.91 को पहुंची थी, इस आरोप पर अभिग्रहण होने के कारण कि इस पर आयात शुल्क की रियायत मांगने के लिए इसे ग्लैज्ड अखबारी कागज के रूप में गलती घोषित किया गया था। इस मामले की पूर्ण जांच के लिए इसे सी बी आई को सौंपा गया। सी बी आई ने अपनी दिनांक 9.8.95 की रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि यह मामला जांच के लिए उपयुक्त नहीं है।
5.	1993-94	पॉलीप्रोपलीन से बुने बोरों के निर्यात के लिए मैसर्स कामथ पैकेलिंग लि., बंगलौर के साथ करार और पॉलीप्रोपलीन एवं एल डी पी का शुल्क मुक्त आयात	एस टी सी ने दिनांक 5.1.1993 को पुलिस अधीक्षक तुमकुक जिला कर्नाटक के पास एफ आई आर दर्ज की जिसमें एस टी सी की प्राप्य राशि को वसूल करने के लिए कम्पनी के प्रबंध-निदेशक और अन्यों के विरुद्ध आपराधिक मामला रजिस्टर किया। वाणिज्य मंत्रालय ने भी प्राथमिकता आधार पर मामले की जाँच कराने के लिए महानिदेशक पुलिस, कर्नाटक को उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए दिनांक 18.11.1996 को मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार के समक्ष मामले को उठाया है।

क्र॰सं॰	वर्ष	विषय	जाँच कर्त्ता ऐजेंसी
6.	1993-94	मैसर्स गोल्डेट्ज पर वैसल सारा-डी से चीनी का आयात	कार्गो जहाज की दूसरे जहाज से टक्कर होने और उसके बाद डुब जाने से चीनी कार्गो की हानि होने के कारण मामले की आन्तरिक जांच की गई। निर्णयानुसार, यह मामला सी बी आई को 12.11.93 को भेजा गया और सी बी आई ने दिनांक 23.12.1994 को कर्नल एण्डी॰ मल्होत्रा, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक, एस टी सी, लंदन और अन्यों के विरुद्ध मामला रजिस्टर किया।
7.	1994-95	एस टी सी द्वारा रुसी अखबारी कागज का आयात	रुसी अखबारी कागज के आयात के व्यापार में एस टी सी प्रबंधकों के विरुद्ध लगे आरोपों की आन्तरिक जांच के आधार पर, सी बी सी ने सी बी आई को परामर्श दिया कि वह मामले की जांच का काम हाथ में ले। वाणिज्य मंत्रालय की सहमति से दिनांक 5.1.96 को आपराधिक मामला रजिस्टर किया गया। दिनांक 9.1.1997 की सी बी आई की अद्यतन रिपोर्ट में, सी बी आई ने बताया है कि जांच नाजुक चरण में है।
8.	1994-95	एस टी सी द्वारा मलयेशिया से किए गए पामोलिन के आयात सौदे की सी बी आई सत्यापन।	सितम्बर, 1993 में 30,000 मी.टन पामोलिन का आयात करने के संबंध में हुई भारी अनियमितताओं के लिए श्री एम॰पी॰ मालवीय द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर, आन्तरिक सतर्कता जांच की गई और दिनांक 25.8.94 को विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सी बी आई दिल्ली ने जांच रिपोर्ट मांगी है जो उन्हें दिनांक 20.4.1995 को भेज दी गई है। निष्कर्ष की प्रतीक्षा की जा रही है। इसी दौरान, सी बी आई, मद्रास को खेप के कथित दुषित होने की जांच करने के लिए कहा गया क्योंकि उससे एस टी सी के लिए वित्तीय समस्या उत्पन्न हो गई। सी बी आई ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी प्रयोगशालाओं के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच करने की सिफारिश की जिन्होंने प्रयोगशाला की गलत रिपोर्ट जारी की थी।
9.	1995-96	रुसी अखबारी कागज के आयात के बारे में श्री एस॰सी॰ दास द्वारा की गई शिकायत, न्यूयार्क में किसी निजी फर्म को सरकारी आवास पट्टे पर देना और अन्य सम्बद्ध मामले।	कोई किराया इत्यादि वसूल किए बिना न्यूयार्क के आंशिक सरकारी आवास को किसी निजी फर्म को पट्टे पर देने के बारे में आन्तरिक सतर्कता जांच रिपोर्ट के आधार पर एस टी सी में वित्तीय जटिलताओं का पता लगाया जा रहा है।
10.	1995-96	एस टी सी में कतिपय अधिकारियों के खिलाफ अनियमितताओं के आरोपों के बारे में डा॰ रवि मल्लू द्वारा की गई शिकायत।	अधिकारों का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के लिए एस टी सी के संबंधित विपणन प्रबंधक के खिलाफ एस टी सी ने 10.1.95 को बड़ी दण्डात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।
11.	1996-97	एस टी सी, मद्रास से बांग्लादेश को किए गए चावल के पोत-लदान में आरोपित गलतियां।	सी बी सी ने अपने दिनांक 20.5.96 के पत्र द्वारा एस टी सी, मद्रास शाखा द्वारा की गई गलतियों की सर्तकता जांच के आदेश दिए थे। एस टी सी के सी एम डी ने जांच रिपोर्ट के परिणामों पर अपने अंतिम विचारों से 8.2.97 को वाणिज्य मंत्रालय को अवगत करा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी अन्तिम राय शीघ्रता पूर्वक देने के लिए दिनांक 14.2.97 को सी बी सी को पत्र लिखा है। सी बी आई ने अपने दिनांक 23.4.96 को अपने पत्र में गुप्त को सत्यापन के लिए सभी संगत दस्तावेजों/मिसिलों की मांग भी की है जिन्हें एस टी सी ने क्रमशः 11 जून, 96 और 19 जुलाई, 96 को सी बी

क्र०सं०	वर्ष	विषय	जाँच कर्त्ता ऐजेंसी
12.	1996-97	मैसर्स इन्टरनेशनल लैदर कम्पनी, दुबई को प्लास्टिक गारजेब बैगों का निर्यात।	एस टी सी ने संबंधित अधिकारियों की किसी आपराधिक देयता की जांच के लिए इस मामले को 8.11.96 को सी बी आई को सौंप दिया था।
13.	1996-97	एस टी सी और जी टी वी द्वारा फेरा कानून का आरोपित उल्लंघन	एस टी सी ने अपने सम्बन्धित अधिकारियों के आपराधिक दायित्व अथवा अन्यथा के बारे में बताने के लिए 5.12.96 को यह मामला सी बी आई को सौंप दिया है।
14.	1996-97	एस टी सी के कुछ अधिकारियों द्वारा सहयोगी को मुफ्त यात्रा सुविधाओं का लाभ उठाने के बारे में सुश्री आनन्दी बहन पटेल द्वारा की गई शिकायत।	इस मामले पर 20.2.97 से सरकारी उद्यम विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से वाणिज्य मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।
15.(I)	1996-97	1994 में चीनी का आयात, मैसर्स केसर एन्टर प्राइजेज, बम्बई को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	(I) सी बी आई, बम्बई ने 14.9.95 को इस मामले की प्रारम्भिक पूछताछ की है जिसके निष्कर्ष की प्रतीक्षा की जा रही है।
(II)	1996-97	एस टी सी द्वारा यूरिया का आयात।	(II) सी बी आई ने अपने दिनांक 5.7.96 के पत्र द्वारा एस टी सी द्वारा किए गए यूरिया के आयात के बारे में सभी संगत फाइलें/दस्तावेज मांगे हैं। एस टी सी प्रबंधन ने सभी फाइलें/दस्तावेज दिनांक 29.7.96 को सी बी आई। को भेज दिए हैं।
(III)	1996-97	मैसर्स आन्द्रे एण्ड सी आई ई, स्विटजरलैंड के जरिए एस टी सी द्वारा चीनी का आयात।	(III) सी बी आई के निदेशक ने अपने दिनांक 17.2.97 के पत्र द्वारा एक नियमित मामला रजिस्टर करने की सिफारिश करते हुए वाणिज्य मंत्रालय की सहमति मांगी है जिस पर कार्रवाई चल रही है।

Decline in the export of Gems and Jewellery

*124. SHRI GYAN RANJAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether export of gems and jewellery has declined;

(b) if so, the reasons therefor and the details of the export of gems and jewellery made during the last three years and the current year so far; and

(c) the steps taken to boost the export of gems and jewellery?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (DR. BOLLA BULI RAMAIAH): (a) and (b) There has been substantial growth in export of gem and jewellery sector over the last three years. However, this year in the period Apr.-Jan.'97 some deceleration in export growth has been noticed due to overall decline in demand for both diamonds and studded jewellery and also due to fall in FOB prices of cut & polished diamonds. The export figures for gems & jewellery since 1993-94 are as follows:-

(value in US$ Million)

ITEM	1993-94	1994-95	1995-96	APR.-JAN. 1996-97 (PROVISIONAL FIGURES)	APR.-JAN 1995-96
DIAMONDS	3574.50	3937.00	4572.54	3448.50	3704.39
GOLD JEWELLERY	308.60	421.20	580.40	520.08	466.36
OTHERS	111.60	142.20	222.50	127.40	150.05
T	39[illegible].70	45[illegible]0.40	5275.44	4115.[illegible]	[illegible]